CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 अंक- 55 रायपुर, शुक्रवार 21 मार्च 2025 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

पुलिस ने खोज निकाला नक्सलियों का गड़ा धन 8 लाख नगद और हथियारों का जखीरा जब्त

गरियाबंद, 21 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाने की राह में पुलिस ने आज एक और बड़ी सफलता हासिल की है. प्रदेश की गरियाबंद पुलिस ने नक्सलियों का छुपाया हुआ धन और हथियारों का जखीरा खोज निकाला है. एसपी निखिल रखचे के नेतृत्व में अब जंगलों में छुपे माओवादी और उनके धन, हथियार समेत सभी सोर्स का एक के बाद एक खात्मा हो रहा है. पुलिस ने आज मैनपुर थाना क्षेत्र से लगे पंडरी पानी से नक्सलियों का जमीन में छुपाया गया 8 लाख कैश और हथियारों समेत नक्सल साहित्य बरामद किया है. अब पुलिस नक्सलियों को कैश देने वाले सोर्स का भी पता लगाने में जुट गई है.

गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मैनपुर थाना क्षेत्र से लगे पंडरी पानी के पहाड़ी इलाके में धमतरी गरियाबंद नुआपड़ा डिविजन कमेटी के द्वारा उगाही का रकम छिपा कर रखा गया था. इसकी जानकारी मिलने पर स्क्क के निर्देश पर जिला पुलिस, कोबरा बटालिया ,सीआरपीएफ की संयुक्त टीम बीडीएस की टीम के साथ सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली. 20 मार्च की सुबह वे बताए गए जगह पर पहुंची और पेड़ के नीचे खुदाई कराई गई, जिसमें एक सफेद बोरी मिली. टीम ने सावधानी के साथ जांच किया, तो उसके अंदर से टिफिन डिब्बे में 8 लाख रुपए नगद और 13 नग जिलेटिन और नक्सली साहित्य समेत अन्य समाग्री बरामद हुआ.

बता दें, जनवरी 2025 के शुरुआत से ही गरियाबंद पुलिस को नक्सली मोर्चे में सफलता मिल रही है. जनवरी माह में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने सेंटर कमेटी सदस्य चलपती समेत 17 नक्सली मार गिराए. फरवरी में हथियारों को नष्ट किया गया. मार्च माह में तीन नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया. अब पुलिस गाड़े हुए धन तक पहुंच गई है. गरियाबंद जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सली गतिविधियों पर नकेल कसने में सफल हुई है.

मारे गए नक्सलियों के शव लेकर लौट रहे सुरक्षा बल

कांकेर, 21 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद जवानों की वापसी शुरू हो गई है। जवान रातभर जंगल में तैनात रहने के बाद अब अपने बेस कैंप की ओर लौट रहे हैं। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव भी जवान अपने साथ ला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ के बाद तेज कर दी गई थी। बीजापुर में हुई मुठभेड़ के बाद भी जवान नक्सलियों के शव लेकर लौटे थे। कांकेर में हुई इस मुठभेड़ को नक्सल विरोधी अभियान की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, दोपहर तक मारे गए नक्सलियों के शव कांकेर लाए जा सकते हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी रखा है, ताकि और कोई नक्सली छिपा हो तो उसे भी पकड़ने की कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और ऑपरेशन जारी रहेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 को आएंगी रायपुर

विधानसभा के कार्यक्रम में होंगी शामिल

रायपुर, 21 मार्च (हाईवे चैनल)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी. वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 'विधायकों को उद्‌बोधन' कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. जारी शेड्यूल के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू सुबह 8.30 बजे राष्ट्रपति भवन से रवाना होकर 8.45 बजे पालम हवाई अड्डा एरावइल पहुंचेंगी और 8.55 बजे पालम हवाई अड्डा से रायपुर रवाना होंगी. 10.35 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10.45 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से विधानसभा के लिए रवाना होंगी और 11.05 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचेंगी, जहां 11.05 से 11.15 तक का समय आरक्षित रहेगा. 11.15 से 1200 तक पौधारोपण, विधायकों के साथ ग्रुप फोटो और विधायकों को संबोधन के कार्यक्रम में शामिल होंगी. 12 बजे विधानसभा से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी और 12.30 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भारतीय वायु सेना के विमान से दिल्ली रवाना होंगी.

कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बुधवार को विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया और कार्यक्रम की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों की विस्तार से समीक्षा की. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी व्यवस्थाएं तय मानकों के अनुसार पूरी की जाए. बैठक में यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के लिए प्रवेश और निकास द्वार तय किए गए, जिससे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

ब्रेकिंग न्यूज

कोर्ट में पेश नहीं होने पर जया प्रदा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, कभी भी हो सकती हैं गिरफ्तार

नई दिल्ली, 21 मार्च (न्यूज चैनल)। फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाने वाली दिग्गज एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। उन पर अदालत की सुनवाई में बार-बार अनुपस्थित रहने के आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की अनुमति मिलने के बाद भी अभद्र टिप्पणी मामले में जया प्रदा बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश नहीं हुईं। बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल तारीख तय कर दी। कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अब गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर सकती है। दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) ने रामपुर के कटघर क्षेत्र स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में सपा के वरिष्ठ नेता, जिनमें रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां, मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां, आयोजक मोहम्मद आरिफ और रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां शामिल थे, ने भाषण दिया था। आरोप है कि इस दौरान जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। इस पर रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खां सहित अन्य नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। जयाप्रदा के बयान दर्ज होने थे, जिसके लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की अनुमति मांगी थी।

सदन मे नए विधायकों के जमीन आबंटन का उठा मामला

रायपुर, 21 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सत्रहवें और अंतिम दिन प्रश्नकाल में नए विधायकों को राजधानी में जमीन आवंटन का मामला विधायक धर्मजीत सिंह और राजेश मूणत ने उठाया. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि अभी जमीन चिन्हांकन की कार्रवाई हो रही है. नवा रायपुर में नकटी गांव में जमीन देने का विचार चल रहा है. आवंटन के लिए अभी अंतिम निर्णय बाकी है.

विधायक धर्मजीत सिंह ने विषय उठाते हुए कहा कि नए विधायकों को राजधानी में रहने की व्यवस्था नहीं है. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मामला संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की जानकारी में है. हम जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे. विधायक उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले के एनएच 200 में भू-अर्जन और मुआवजे की स्थिति का मामला उठाया? उन्होंने कहा कि पिछले बार जवाब में 820.783 हेक्टेयर आया था. एक जैसा प्रश्न, मंत्री भी एक. लेकिन उत्तर 3 बार गलत तो आखिरकार कौन से उत्तर को सही माने?

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि रायगढ़ जिले के निजी भूमि कुल रकबा कुल मिलाकर 141.23 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जित की गई है. विधायक ने कहा कि इसके पहले 141.5, उसके ठीक बार फिर अलग जवाब, उत्तर सही कौन सा है? 820 और 143 जमीन=असमान का अंतर है? इस पर मंत्री ने कहा कि दोनों ही जानकारियों में अन्तर क्यों आया, इसको मैं चेक करता हूं. इस पर विधायक ने कहा कि यह लगातार हो रहा है. विधानसभा को लगातार अलग-अलग उत्तर देने पर अधिकारियों पर कार्यवाही करिए? इस पर अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि अगर आप जवाब से असंतुष्ट है तो आप उसकी प्रक्रिया कर लें. हम आगे बढ़ जाएंगे. इस पर नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि जो अन्तर आ रहा है वह बड़ा अंतर है. सीधे 820 का अंतर है. अध्यक्ष ने कहा कि आप लिख कर दे दें, हम निराकरण करेंगे. विधायक ने कहा कि ह॥ 200 का सर्वे किसी और डायरेक्शन में था. नए सर्वे में डायरेक्शन बदल दिया गया, लेकिन पुराने सर्वे का अप्रतिबंध कब तक हटाएंगे? मंत्री ने बताया कि निर्माण शुरू होने से पहले प्रतिबंधित किया गया था. अभी नए निर्माण के भूमि अर्जित न करना पड़े, इसलिए उसे प्रतिबंधित किया गया है? विधायक ने इस पर सवाल किया कि इसे कब तक रिलीज कर दिया जाएगा? मंत्री ने कहा कि मेरी जानकारी में कई बात नहीं हैं. उसे मैं दिखवा लेता हूं. विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कई ऐसी जमीन हैं, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है. जमीन प्रभावित ही नहीं हुआ है, लेकिन 2 करोड़ का मुआवजा बना हुआ है. ये अगर गलती हुई है तो क्या रिकवरी के लिए अधिकारी पर कार्यवाही करेंगे? इस पर मंत्री ने कहा कि इस सड़क के निर्माण के संबंध में यह 2005 का है, जिसकी जानकारी दी गई है, इसकी मैं जांच करवाऊंगा. विधायक ने कहा कि अधिकारियों से साठ-गांठ करके 2 करोड़ का मुआवजा दिया गया है. अधिकारी पर कार्यवाही की गई क्या? मंत्री ने बताया कि इसकी शिकायत दर्ज करेंगे

भीषण सड़क हादसा, एक साथ 3 बाइक में भिड़ंत एक मासूम सहित भिलाई के 2 युवकों की मौत

दुर्ग, 21 मार्च (हाईवे चैनल)। बालोद जिले में तीन बाइक की टक्कर में एक मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि ३ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए आनन फानन में भर्ती कराया गया। घटना बालोद थाना क्षेत्र की है। जहां तीन बाइक की आपस में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर चार लोगों की मौत हो गई। मृतक में एक मासूम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि हादसा एनएच-९३० जमरूवा के पास हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई है। मृत दोनों युवक भिलाई पावर हाउस का निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार बालोद में धमतरी मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में ३ लोगों की मौत हो गई है। जिनमें एक डेढ़ साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। हादसे में ४ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में हासिर शैय्यद (२५ साल) और आनंद कुमार (२७ साल) की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों भिलाई पावर हाउस के रहने वाले थे। शुक्रवार सुबह करीब ९-३० बजे हादसा हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक भिलाई से राइडर्स ३ बाइक से केशकाल के लिए निकले थे। वहीं बरही निवासी अक्षय कुमार यादव (२७ साल), पत्नी खिलेश्वरी यादव (२५ साल) और डेढ़ साल की बेटी दीक्षा के साथ नसबंदी ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल बालोद के लिए निकले थे।

तेज रफ्तार वाहन ने मवेशियों को कुचला, 8 की मौत, 3 घायल

बिलासपुर, 21 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. मुंगेली रोड स्थित पेंडारी के पास एक अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे मवेशियों को कुचल दिया. इस घटना में 8 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए. यह मामला सकरी थाना क्षेत्र का है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सकरी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए व्यवस्था की और मृत मवेशियों को हटाया. वहीं पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

डिवाइडर पर चढ़कर विद्युत पोल से टकराई बस, एक घायल

धमतरी, 21 मार्च (हाईवे चैनल)। आज सुबह एक सड़क दुर्घटना घटी जिसमे एक बुजुर्ग घायल हुआ। हादसा गंभीर व ज्यादा घातक हो सकता था लेकिन गनीमत रहा कि बड़ी घटना टल गई।

मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह लगभग 8 बजे जगदलपुर से रायपुर मार्ग पर चलने वाली महेन्द्रा बस क्रमांक सीजी 05 जे 0721 जो कि जगदलपुर की ओर से रायपुर जाने निकली थी। तभी धमतरी सिहावा चौक ट्रैफिक सिग्नल के पास अनियंत्रित होकर बस डिवायडर पर चढ़ गई है। और डिवायडर पर लगे विद्युत पोल से जा टकराई। हादसे में बस में सवार अधारी नवागांव वार्ड निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग लच्छुराम साहू घायल हो गया जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बस सामने से आ रहे सायकल सवार दुध वाले को बचाने के चक्कर में डिवायडर पर चढ़ गई और पोल से टकराने के चलते बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तत्काल यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और बस को हटवाया गया। लोगो का कहना है कि सड़क के नवनिर्माण से सड़क की ऊंचाई बढ़ गई है। जिससे डिवायडर की ऊंचाई काफी कम हो गई इसलिए पहले भी कई बार वाहने डिवायडर पर चढ़ चुकी है।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, दिल्ली में एक जज के घर आग लगी तो फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को मिला नोटों का जखीरा।

चुहिया- हां जी, अब क्या न्याय मिलेगा जब जज और लुटेरे एक ही केटेगरी के हो जाएं।

जज के घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड वालों को मिली बेहिसाब नगदी

नई दिल्ली, 21 मार्च (न्यूज चैनल)। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कड़ी कार्रवाई की है। हम आपको बता दें कि जज के घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर सुनते ही प्रधान न्यायाधीश ने तत्काल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई और निर्णय लिया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया जायेगा। हम आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ही दिल्ली लाये गये थे। बताया जा रहा है कि जब जस्टिस यशवंत वर्मा होली की छुट्टियों के दौरान बाहर गये हुए थे तभी उनके सरकारी बंगले में आग लग गयी। आग के बारे में जब जज के परिजनों को सूचित किया गया तो उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को फोन पर इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में उस समय आग लग गई जब वे शहर में नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बंगले के विभिन्न कमरों में भारी मात्रा में नकदी बरामद की। इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस के अधिकारियों ने इस बारे में न्यायिक तंत्र को सूचना दी। इसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, जहां वे अक्टूबर 2021 तक कार्यरत थे। सूत्रों ने बताया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच शुरू करने और महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने पर भी चर्चा चल रही है। कॉलेजियम के कुछ जजों ने चिंता जताई है कि जस्टिस वर्मा को स्थानांतरित करने मात्र से न्यायपालिका की छवि खराब होगी और कानूनी व्यवस्था में जनता का विश्वास खत्म होगा। उन्होंने जस्टिस वर्मा से स्वेच्छा से इस्तीफा मांगा है।

CMYK